भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः †1700

उत्तर देने की तारीख 10 दिसंबर, 2025 (बुधवार)

19 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रश्न

एक उत्पाद, एक जिला

†1700. श्री सनातन पांडेयः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा "एक उत्पाद, एक जिला" जैसी कोई क्षेत्रीय पहल शुरू की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पहल के अंतर्गत किन उत्पादों की पहचान की गई है; और

(ग) क्या उक्त उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) एक उत्पाद, एक जिला (ओडीओपी) पहल का लक्ष्य सभी क्षेत्रों का समग्र विकास करने के लिए देश के प्रत्येक जिले के कम-से-कम एक उत्पाद (एक उत्पाद, एक जिला) का चयन करना, ब्रांड बनाना और उसे बढ़ावा देना है। एक उत्पाद, एक जिला पहल के तहत अब तक पूरे देश के 775 जिलों में 1243 उत्पादों को चिह्नित किया गया है जिनमें वस्त्र, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। 19 अगस्त, 2025 की स्थिति के अनुसार, ओडीओपी पहल के अंतर्गत राज्यों के (जिला-वार) चिह्नित विशेष उत्पादों का विवरण https://static.investindia.gov.in/s3fs-public/2025-08/20250819_v32_odop_product_list.pdf लिंक में उपलब्ध है।

एक उत्पाद, एक जिला के सभी उत्पादों के संवर्धन और निर्यात के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें स्थानीय प्रदर्शनियों में भागीदारी को सुगम बनाना, विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से नियमित क्षमता-निर्माण पहल; सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम)-ओडीओपी बाजार हेतु ई-कॉमर्स ऑन-बोर्डिंग ड्राइव, जो कि भारत के सबसे अच्छे ओडीओपी उत्पादों को दर्शाता है और उनका भंडारण करता है, शामिल हैं। ओडीओपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ मिलकर, क्रेता-विक्रेता वर्चुअल संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी का आयोजन किया जाता है। साथ ही, इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाने के लिए भारत में जी-20 बैठकों के दौरान विभिन्न ओडीओपी को उपहार के रूप में शामिल किया गया।

इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब (डीईएच) पहल के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श से देश के सभी जिलों में निर्यात संभावित उत्पादों और सेवाओं को चिह्नित किया जाता है। इसके अलावा, डीईएच के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) बनाकर संस्थागत कार्य-व्यवस्था स्थापित की गई है।
